

महामहिम राज्यपाल
श्री ओ. पी. मेहरा का अभिभाषण
20 मार्च, 1985

माननीय सदस्यगण,

नवगठित आठवीं विधान सभा के इस प्रथम सत्र में, मैं आप सबके निर्वाचन पर बधाई देता हूँ तथा स्वागत करता हूँ।

2. इस विधान सभा में पिछली विधान सभाओं से कुछ विशेषतायें हैं। एक तरफ जहाँ पुराने कर्मठ एवं परिपक्व अनुभवी सदस्य हैं वहीं दूसरी ओर नयी उमंग और उत्साह से काम करने की भावना लिये हुए नये एवं युवा सदस्य यहाँ काफी संख्या में आये हैं। पिछली विधान सभाओं की तुलना में इस सभा में महिला सदस्यों की संख्या भी अधिक है जो इस बात का द्योतक है कि राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में महिलायें भी अपना उचित स्थान प्राप्त करने की ओर अधिक अग्रसर हैं। एक और विशेषता यह है कि इस सदन के माननीय सदस्य विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक पृष्ठभूमि से आये हैं, अतः उनमें इन सभी पहलुओं से सम्बन्धित ज्ञान एवं अनुभव निहित है। मैं आशा करता हूँ कि उनके इस ज्ञान व अनुभव का लाभ इस सदन को राज्य के भावी विकास के लिए मिलता रहेगा।

3. मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी है कि अनेक कठिनाइयों व असाधारण प्रतिकूल परिस्थितियों के उपरान्त भी राजस्थान में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बहुत सन्तोषजनक रही है। तत्परता एवं सूझबूझ से कार्यवाही करने के फलस्वरूप ही पड़ोसी राज्य पंजाब में उग्रवादियों की गतिविधियों के विस्तार को राजस्थान में रोकना जा सका है और सभी वर्गों के नागरिकों को पूरी सुरक्षा प्राप्त हुई है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के कारण हुई हिंसात्मक वाददातों की प्रतिक्रिया भी हमारे राज्य में समुचित प्रबन्ध होने के कारण नगण्य रही। इस दौरान राजस्थान में सुरक्षा हेतु कई व्यक्ति अन्य राज्यों से आये उनका राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त प्रबन्ध किया गया और बाद में उन्हें अपने स्थानों पर भेजने की व्यवस्था भी की गई।

4. यह हम सभी के लिए हर्ष की बात है कि राज्य में साम्प्रदायिक सहयोग एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहा व विपरीत घटनाएँ नगण्य मात्र ही रहीं। यह भी बहुत हर्ष का विषय है कि राजस्थान की जनता ने ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी अपना सन्तुलन नहीं खोया तथा शांतिप्रिय व अनुशासित होने का परिचय दिया।

5. ऐसे असाधारण परिपेक्ष्य में पहले तो लोक सभा चुनाव और उसके तुरन्त बाद विधान

प्रसन्नता, और दोनों ही एक-एक दिन में, बिना किसी उल्लेखनीय प्रतिकूल घटना के पूर्ण प्रसन्नतापूर्वक निष्पादित किये गये यह अपने आप में एक विशेष उपलब्धि है। यह प्रसन्नता की बात है कि राज्य में इस सम्बन्ध में की गई व्यापक व्यवस्था की भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने एक कण्ठ से सराहना की है। इसी परिपेक्ष्य में राज्य की जनता ने भारत की अखण्डता में अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए विघटनकारी कार्यवाहियों को स्पष्ट रूप से नकारा तथा प्रगतिशील नीतियों के लिए जो अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया है व मार्गदर्शक का कार्य किया है उसके लिए हमें बधाई की पात्र है।

6. राज्य सरकार ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी विकास की गति को पूर्णतया बनाए रखा। 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति में, जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम होगा, राजस्थान निरन्तर दो वर्षों से अग्रणी रहा है। वर्ष 1982-83 में राजस्थान को देश में सर्वोच्च स्थान मिला था और वर्ष 1983-84 में भारत सरकार ने राजस्थान राज्य को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। वर्ष 1984-85 में राज्य सरकार ने अपनी क्रियान्विति के स्तर में और सुधार लाने के प्रयत्न किये हैं। योजना आयोग ने जनवरी, 1985 में प्राप्त समीक्षा में राजस्थान राज्य को बीस सूत्री की क्रियान्विति में अन्य राज्यों की तुलना में सर्वोत्तम माना है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि जनवरी, 1985 तक कई सूत्रों में इस वर्ष के लक्ष्य पूरे किये जा चुके हैं तथा कई सूत्रों में विभागीय लक्ष्यों से कहीं अधिक उपलब्धियाँ हो चुकी हैं। इनमें सीलिंग से प्राप्त भूमि का आवंटन, ग्रामीण मजदूरों का पुनर्वास, अनुसूचित जनजाति के परिवारों का कल्याण, ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय भूखण्ड आवंटन, गन्दी बस्ती सुधार, पम्प सैटों का ऊर्जाकरण, वृक्षारोपण एवं बायोगैस तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना उल्लेखनीय है। यह भी सन्तोष का विषय है कि इस वर्ष की अधिकतर सूत्रों की उपलब्धियाँ गत वर्ष की उपलब्धियों के अनुपात में कहीं अधिक हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि इस वर्ष भी 20 सूत्री कार्यक्रम में राज्य को सर्वोच्च स्थान प्राप्त होगा। मुझे यह कहते हुए भी प्रसन्नता है कि जनता ने इस कार्य में अपना पूरा योगदान दिया है और इसकी मांग की क्रियान्विति में अपनी पूरी भागीदारी निभाई है।

7. आज हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब छठी पंचवर्षीय योजना समाप्त होकर सातवीं पंचवर्षीय योजना आरम्भ होने वाली है। छठी पंचवर्षीय योजना का आकार योजना आयोग द्वारा 2,025 करोड़ रुपये का स्वीकृत किया गया था जिसके मुकाबले अग्रिम योजना सहायता सहित लगभग 2,128 करोड़ रुपये का व्यय होने की संभावना है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 'नैट डाम्पिंक प्रोडक्ट' 1970-71 के मूल्यों के आधार पर वर्ष 1979-80 में 1,722 करोड़ से बढ़कर वर्ष 1983-84 में 2,341 करोड़ रुपये का हो गया था और इस प्रकार वृद्धि दर लगभग 8 प्रतिशत की रही। इस योजनाकाल में कृषि के आधारभूत आदानों के उपयोग में भी वृद्धि हुई और फलस्वरूप वर्ष 1983-84 तक खाद्यान्न उत्पादन में 91.71 प्रतिशत, तिलहन उत्पादन में 182.07 प्रतिशत, कपास में 19.63 प्रतिशत और गन्ने के उत्पादन में 28.02 प्रतिशत की

वृद्धि हुई। प्रसार कार्यक्रम के माध्यम से टेक्नोलोजी को प्रयोगशाला से खेत में लाया गया। फलस्वरूप आदान प्रदान में आधारभूत परिवर्तन हुए हैं। सिंचाई के लिए अधिक पानी उपलब्ध होने से कृषि उत्पादन का आधार व्यापक हुआ है। वर्ष 1979-80 के मुकाबले वर्ष 1984-85 तक सिंचाई क्षमता में लगभग 20.54 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। सिंचाई के लिए पानी के अधिकतम उपयोग हेतु जल संसाधन निगम की स्थापना की गई है। ऊर्जा के विकास के आधारभूत ढांचे में प्रसार के फलस्वरूप ऊर्जा की उपलब्धि जो कि 1979-80 में 1,026 मेगावाट थी वह बढ़कर 1985 में 1,738 मेगावाट होने की संभावना है। समन्वित सहायता एवं सुविधाएँ मिलने के फलस्वरूप उद्योगों का भी विकास हुआ है। वर्ष 1979 की तुलना में 1984 के वर्ष तक उद्योगों के पंजीकरण में लगभग 34 प्रतिशत वृद्धि हुई है और लगभग 35 प्रतिशत अधिक रोजगार उपलब्ध हुआ है। वर्ष 1984 के अन्त तक पंजीकृत कारखाने (फैक्ट्रीज) में 1,95,000 मजदूरों को रोजाना नियोजित किया जा रहा है। राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम के सहयोग से कृत्रिम धागे, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टूकों के चेसिस बनाने के कारखाने राज्य में लगे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि छठी पंचवर्षीय योजना काल में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का प्रथम चरण पूर्ण किया गया तथा दूसरे चरण का कार्य भी द्रुत गति से चल रहा है। माही परियोजना का कार्य भी प्रायः पूरा कर लिया गया है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई हेतु जल प्रवाह प्रारम्भ हो गया है, उन क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों में भी काफी प्रगति हुई है। कोटा ताप बिजली घर की पहली इकाई इसी पंचवर्षीय योजना की उपलब्धि है।

8. अब सातवीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने दिशा-निर्देश दिये हैं कि विकास, समानता, सामाजिक न्याय, गरीबी उन्मूलन, स्वावलम्बन और उत्पादन तथा कार्य कुशलता में वृद्धि योजना के आधारभूत संसाधन होने चाहिए। राष्ट्रीय उद्देश्य के परिपेक्ष्य में राज्य की सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में योजना आयोग से सक्रिय रूप से विचार-विमर्श जारी है तथा इसे शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जा रहा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में छठी योजना के अन्तर्गत निष्पादित किये गये कार्यों को और आगे बढ़ाये जाने के अतिरिक्त कई नये कार्यक्रम एवं परियोजनाएँ प्रारम्भ की जायेंगी। तदनुसार खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, सिंचाई साधनों का विकास, इन्दिरा गांधी नहर को पूरा करवाना तथा सिंचित क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों को व्यापक रूप से निष्पादित करना, ऊर्जा के वितरण तथा उत्पादन में बढ़ोतरी, बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों का उत्थान, पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराना, यातायात के साधनों और अधिक व्यापकता लाना, स्कूली तथा तकनीकी शिक्षा का व्यापक विकास, स्वास्थ्य संसाधनों में वृद्धि, राजकीय कार्यों का आधुनिकीकरण, आवासीय सुविधाओं आदि के प्रसार को अधिक महत्त्व दिया गया है।

9. इस वर्ष राज्य के कई भागों और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में वर्षा का काफी अभाव रहा। मानसून जुलाई में देर से शुरू हुआ और जुलाई के अन्त से लम्बे अन्तराल में वर्षा

गरी हुई। उसके बाद फराल में दाना पड़ने के समय वंशित वर्षा नहीं हुई या अल्पवर्षा रही। उपरोक्त कारणों से इस वर्ष 123.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई के लक्ष्य के मुकाबले 94.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही बुआई हो पाई।

10. इस वर्ष खरीफ में 42 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था परन्तु लगभग 24 लाख टन खरीफ खाद्यान्न होने का अनुमान है। कई क्षेत्रों में वर्षा की कमी तथा भावना व व्यास परियोजनाओं में भी इस वर्ष काफी कम पानी एकत्रित होने के कारण रबी फसल पर भी कई स्थानों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। ग्नी में 56.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर बुआई होने के अनुमान के मुकाबले केवल 50.8 लाख हेक्टेयर भूमि पर बुआई हो पाई है। वैसे एक ओर जलोढ़ सिंचाई हेतु पानी की कमी के कारण अनाज के अन्तर्गत 15 प्रतिशत क्षेत्रफल में कमी आई है, दूसरी ओर तिलहन के अन्तर्गत 20 प्रतिशत अधिक क्षेत्रफल में बुआई हुई है। उत्पादन के स्तर को बनाये रखने के लिए खरीफ तथा रबी दोनों ही फसलों के लिए विशेष आदान परखवाड़े गार राज्य में आयोजित किये गये थे जिनके माध्यम से किसानों को समय पर तथा निकटतम केन्द्रों द्वारा पर्याप्त मात्रा में कृषि हेतु समस्त संसाधन तथा आदान उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई थी। इन सब प्रयासों के फलस्वरूप इस वर्ष व्यापक मूखे की स्थिति होते हुए भी 2 लाख 25 हजार टन रसायनिक खाद एवं 2 लाख 45 हजार राइजोबियम कल्चर का वितरण किया गया जो गा. तर्पों में वितरित मात्रा से अधिक है। लघु एवं सीमान्त कृषकों की सहायताार्थ दलहन एवं तिलहन प्रत्येक के 37 हजार मिनिक्विटस, बीज एवं उर्वरकों के, वितरित किये गये। अन्य प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत खरीफ मौसम में 68 हजार तथा रबी में 1 लाख 10 हजार मिनिक्विटस वितरित किये गये।

11. शुष्क खेती को उन्नत तथा वैज्ञानिक तरीके से किसान करें, इस हेतु इस वर्ष सुनियोजित प्रबन्ध किये तथा पहली बार शिविगों के माध्यम से पैकेज आफ प्रैक्टिस के द्वारा 89,000 कृषकों को प्रशिक्षित किया गया। कृषि विस्तार कार्यक्रम की सफलता से प्रेरित होकर विश्व बैंक से विस्तृत रूप से विचार-विमर्श कर एक नया समझौता किया गया जिसके अन्तर्गत न केवल इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की व्यवस्था की गई है अपितु 6 नये जिलों को भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया है, जिससे कि इस कार्यक्रम द्वारा राज्य के 24 जिलों के कृषकों को लाभ प्राप्त हो सकेगा।

12. जैसा कि मैंने ऊपर कहा है, इस वर्ष कम व असाध्यिक वर्षा होने के कारण खरीफ की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बुआई में कमी के साथ ही कुछ जिलों में कमजोर फसल होने के फलस्वरूप राज्य के 37,504 ग्रामों में से 6,017 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं। अभावग्रस्त घोषित गाँवों में चालू भू-राजस्व की वसूली सितम्बर, 1985 तक स्थगित कर दी गई है। अभावग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु 329.15 लाख रुपये का आवंटन कर दिया गया है। पेयजल की व्यवस्था हेतु उपलब्ध 215 टूक टैकर्स का आवश्यकतानुसार उपयोग किया

जा रहा है। नागौर व बाड़मेर जिलों में सिंचाई की व्यवस्था की गई है तथा विभिन्न पेयजल योजनाओं के विस्तार, नवीनीकरण आदि के कार्य भी चालू किये जा चुके हैं। लोगों को जीवनयापन के साधन जुटाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम, खेतों पर मजदूर राजगार गारन्टी कार्यक्रम एवं विभिन्न योजनान्तर्गत कार्य चालू किये गये हैं। फरवरी के द्वितीय पखवाड़े में औसत 2,67,882 श्रमिक राज्य में विभिन्न निर्माण कार्यों में लगे हुए थे।

13. राज्य का कृषि विकास केवल मानसून पर निर्भर न रहे तथा उपयुक्त क्षेत्रों में सिंचाई की क्षमता बढ़ाकर वर्ष में दो या अधिक फसलों की जा सक, इसके लिए सिंचाई के साधनों में बड़ोतरी करना अति आवश्यक है।

14. वर्ष 1979-80 तक राज्य में 17.73 लाख हैक्टेयर भूमि में प्रवाहीय सिंचाई क्षमता प्राप्त कर ली गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों में वृहद्, मध्यम व लघु सिंचाई परियोजनाओं से 2.91 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सिंचाई क्षमता उपलब्ध की गई है। चालू वर्ष में इन्दिरा गांधी नहर के अलावा 38,500 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूर्ण होने की आशा है। इसमें 15 हजार हैक्टेयर पर सिंचाई क्षमता माही बजाज सागर परियोजना में उपलब्ध होगी। अगले वर्ष इस परियोजना से 31,500 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। श्रीमलपुर वृहद् परियोजना और पाँच मध्यम परियोजनाओं के लिये वित्तीय प्रावधान किया गया है। जाखम वृहद् परियोजना, 13 मध्यम परियोजनाओं और 20 आधुनिकीकरण परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इनमें से कोट्यारी और हरिश्चन्द्र सागर मध्यम परियोजनाएँ 1985-86 तक पूरी होने की आशा है। लघु परियोजनाओं पर सबसे अधिक ध्यान दिया जा रहा है और इस वर्ष में 1667 छोटी परियोजनाओं का एक मास्टर प्लान मंजूर किया जा चुका है। इस मास्टर प्लान में से 928 परियोजनाएँ विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वीकृत की गई हैं, जिनका निर्माण कार्य जारी है।

15. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत मार्च, 1984 तक 6.81 लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता प्राप्त की जा चुकी थी। चालू वर्ष में 35 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त क्षमता प्राप्त करने का अनुमान है। मुख्य नहर का काम 383 किलोमीटर तक पूरा किया जाकर जल प्रवाह चालू किया गया है। नहर के शेष भाग अर्थात् 445 किलोमीटर तक में काम तेजी से प्रगति पर है और शेष कार्य को 1985-86 तक पूरा करने का लक्ष्य है। दूरग्रे चरण में 5 लिफ्ट योजनाओं के प्रारम्भिक कार्य भी इस वर्ष प्रारम्भ किये गये हैं।

16. सिंचाई के साधनों में और अधिक वृद्धि करने हेतु प्रवाहीय सिंचाई के साथ-साथ भूजल का उपयोग भी आवश्यक है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष 300 नलकूपों व 2,327 नये कुओं का निर्माण हुआ। 1,698 डीजल के व 14,045 विद्युत के पम्प सेट लगवाये गये व 1,108 कुओं को गहरा कराया गया। फलस्वरूप भूमिगत जल पर आधारित सिंचित क्षेत्र में लगभग 19 हजार हैक्टेयर वृद्धि हुई है। भूजल के विदोहन के लिए सावी, बनास नदी बेसिन के

तहत मलवार के 4 नदी बेसिन तथा भोलवाड़ा के 5 नदी बेसिन क्षेत्रों में विस्तृत भूजल सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। मरु विकास कार्यक्रम के तहत जैसलमेर, सीकर, सुंदरगढ़ जिलों में विस्तृत भूजल सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जाकर बीकानेर व गंगानगर जिलों में प्रारम्भ किया जा रहा है।

17. सिंचाई क्षमता के पूर्ण एवं सुनियोजित उपयोग हेतु सिंचित क्षेत्र के विकास के कार्यक्रम को अग्रगण्य भी अति आवश्यक है। इस समय सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम चम्बल, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना और माही बजाज सागर परियोजनाओं में चालू है। चम्बल क्षेत्र में पहला चरण प्रायः पूरा हो चुका है। 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बाघवन्दी किये जाने का भी लक्ष्य है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के क्षेत्र में इस वर्ष दिसम्बर के अन्त तक 22,700 हेक्टेयर भूमि पर प्राथमिक चरणों का निर्माण किया जा चुका है। इन्दिरा गांधी नहर के द्वितीय चरण के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र विकास का व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जा चुका है तथा चेष्टा की जा रही है कि इस कार्यक्रम के निष्पादन हेतु अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त की जाय। माही बजाज सागर परियोजना में 15 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में पानी उपलब्ध कराने की योजना थी जो कि प्रायः पूर्ण कर ली गई है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में बस्सी, पंचना, परवन लिफ्ट, जाखम व सोमकाण्ठ परियोजनाओं में भी खेतों के विकास के लिए ओ.एफ.डी. कार्यक्रम लिए जाने का प्रस्ताव है।

18. जन सामान्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहकारिता का महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि के क्षेत्र में विपणन की व्यवस्था के अतिरिक्त विशेष रूप से आदान उपलब्ध कराने के क्रम में अल्पकालीन, मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था में सहकारी संस्थाओं की अहम भूमिका है। इस हेतु अधिक-से-अधिक ग्रामीण कृषक परिवारों को सहकारिता के क्षेत्र में लाने हेतु किये गये प्रयासों के फलस्वरूप राज्य के 99 प्रतिशत गाँव और 85 प्रतिशत परिवार सहकारी कार्यक्रम के अन्तर्गत लाये जा चुके हैं। चालू वर्ष के अन्त तक 90 प्रतिशत परिवारों को सहकारिता के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पकालीन ऋण वितरण एवं बसूली की आनुपातिकताओं की जाँच व मौके पर ही राहत पहुँचाने की दृष्टि से 1 दिसम्बर से 15 अक्टूबर, 1984 तक गाँवों में मजमाआम लगाकर इस वर्ष विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के अन्तर्गत सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत 55.50 लाख रुपये के 5,211 सामान्य ऋण पर निर्णीत किये गये। 27,617 नये सदस्य बनाये गये, 4,22,548 सदस्यों को नई पासबुकें दी गईं, 4,20,254 सदस्यों की पुरानी पासबुकें पूर्ण करवाई गईं तथा 61,633 मध्यकालीन ऋणों का मौलिक सत्यापन कराया गया जिससे सहकारी आन्दोलन के प्रति लोगों में आस्था बनी और सहकारी संस्थाओं को अपनी कमियों की जानकारी हुई तथा उन्हें काम करने की शैली में सुधार करने का अवसर मिला।

19. ग्रामीण आर्थिक समुदाय की सहायता प्राप्त सहकारी गोदाम निर्माण परियोजना के अन्तर्गत 2,828 गोदाम बनाने के लक्ष्य के मुकाबले 2,246 गोदाम पूर्ण हो चुके हैं, 143 गोदाम निर्माणाधीन हैं तथा 139 गोदामों का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही

है। इससे गाँवों में कृषि आदानों का भण्डारण संभव हो गया है, ताकि किसानों को आवश्यक आदान समय पर उपलब्ध हो सके। उपज के वैज्ञानिक रूप से भण्डारण से उसे सुरक्षित रखा जा सकता है और विपणन में भी सुविधा रहती है।

20. सहकारिता के माध्यम से केशोरायपाटन शुगर मिल, गुलाबपुरा, हनुमानगढ़ व गंगापूर (भीलवाड़ा) में स्पिनिंग मिल्स एवं गंगानगर आयल व प्रोसेसिंग मिल, गजसिंहपुर स्थापित की जा चुकी है। आसिंद व शाहपुरा में कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स तथा माण्डलगढ़ ऊपरमाल किसान सहकारी वनस्पति मिल्स के परियोजना प्रविदेदन तैयार किये जा चुके हैं। एन.सी.डी.सी. योजना के अन्तर्गत विश्व बैंक की सहायता से कोटा में 32 कमांडू रुपये की लागत से सोयाबीन पर आधारित एक बड़ा कारखाना राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय मंच द्वारा लगाया जायेगा।

21. राज्य सरकार द्वारा सहकारी संस्था अधिनियम में संशोधन कर दो हजार रुपये तक के अल्पकालीन ऋणों, जिसमें परिवर्तित मध्यमकालीन ऋण भी शामिल हैं, के लिए मूलधन से जो अधिक व्याज की रकम है उसे माफ करने का निर्णय लिया गया एवं तदनुसार संशोधन किया गया है। इस निर्णय में गरीब कृषकों को काफी राहत मिलेगी।

22. कई सहकारी संस्थाओं से चुनाव करवाने अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में गत वर्ष विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया था परन्तु लोकसभा तथा शीघ्र ही तत्पश्चात् विधान सभाओं के चुनाव निश्चित हो जाने के फलस्वरूप इसे स्थगित करना पड़ा। लोकतांत्रिक संस्थाओं के समय पर चुनाव करवाने में राज्य सरकार विश्वास रखती है तथा अब अतिशीघ्र ही सुनियोजित कार्यक्रम के अनुसार उन सभी सहकारी संस्थाओं में, जिनमें चुनाव अवधिपार हो गये हैं, चुनाव करवाने की मंशा रखती है।

23. यह हर्ष का विषय है कि 90 प्रतिशत से अधिक सहकारी संस्थाओं का यथासमय अंकेक्षण करवा लिया गया है तथा शेष कार्य भी यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि महत्वपूर्ण तथा शीर्ष संस्थाओं में अंकेक्षण का कार्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स द्वारा करवाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही ऐसी संस्थाओं में समयवर्तीक अंकेक्षण करवाने का कार्य भी हाथ में लिया गया है। अंकेक्षण के सम्बन्ध में समुचित आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं तथा इनका संकलन कर छपवाया जा रहा है ताकि यह कार्य भविष्य में सुनियोजित रूप से किया जा सके।

24. गरीबी को दूर करने तथा बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाने के कार्यक्रमों को राज्य सरकार बहुत महत्व देती है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम मूलतः इस दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे हर्ष है कि इस कार्यक्रम के तहत पिछले वर्षों की भाँति इस वर्ष भी जो लक्ष्य भारत सरकार द्वारा इस राज्य के लिए निर्धारित किये गये थे वे न केवल पूर्ण कर लेने की आशा है अपितु इससे काफी अधिक उपलब्धि कर लेने का अनुमान है। इस प्रकार 1 लाख 42 हजार परिवारों को लाभान्वित करने के लक्ष्य के मुकाबले इस वर्ष 1 लाख 50 हजार गरीब परिवार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित होंगे।

25. दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को ओपीडी प्रति से चलाने के उद्देश्य से जो 6 करोड़ रुपये का प्रावधान राज्य की योजना में इस वर्ष रखा गया था उसे बढ़ाकर 9 करोड़ रुपये कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की गई सफलता को सुनिश्चित रखते हुए भारत सरकार ने भी अपने बजट के अंशदान को 77.5 लाख तक बढ़ा दिया है। इस प्रकार इस वर्ष माह फरवरी तक 77 लाख मानव दिवसों का रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराया गया जबकि भारत सरकार द्वारा इस वर्ष के लिए 61 लाख मानव दिवस का लक्ष्य ही निर्धारित किया गया था।

26. इस कड़ी में तीसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम है, जिसका प्रत्येक भूमिहीन परिवार के एक सदस्य को कम-से-कम 100 दिन रोजगार दिलाने की व्यवस्था है। इससे रोजगार दिलाने के साथ-साथ गाँव के आर्थिक ढाँचे को सुदृढ़ बनाने हेतु मरुभूमि, मिचार्ड सुविधाओं का विस्तार, भू-संरक्षण, भूमि सुधार, सामाजिक यानिकी आदि के कार्यक्रम किये जा रहे हैं। इस विनियोजन से इस वर्ष लगभग 56 लाख मानव दिवस का रोजगार फरवरी तक सुनिश्चित किया गया तथा वर्ष के अन्त तक निर्धारित लक्ष्यों से अधिक प्राप्ति की जायेगी।

27. गाँव में ईंधन के वैकल्पिक साधन के रूप में बायोगैस की बढ़ती हुई लोकप्रियता हम सबके लिए खुशी की बात है। वर्ष 1984-85 में चार हजार बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लक्ष्य के मुकाबले लगभग 6,500 संयंत्र फरवरी माह तक लगाये गये हैं एवं मार्च तक 8,000 संयंत्र लगाये जाने का अनुमान है।

28. बंधुआ मजदूरों की खोज, मुक्ति और पुनर्वास धीस सूत्री कार्यक्रम का अंग है। चालू वित्तीय वर्ष में 462 बंधुआ मजदूरों को चिह्नित कर उन्हें मुक्त कराया गया है एवं उन्हें पुनर्वासित भी किया गया है, जबकि लक्ष्य 275 मजदूरों का था।

29. विकास के काम में वित्तीय संस्थाएँ भी भागीदार हो इसके लिए लघु मिचार्ड, फल विनायक, फलवागों से मिचार्ड, जलीत्वहन योजनाएँ तथा पशुपालन, डेयरी विकास, उन्नत कृषि यंत्र आदि की योजनाएँ भी बनाई गई हैं एवं क्रियान्वित की जा रही हैं जिससे काफी आर्थिक लाभ प्राप्त रहा है। वर्ष 1984-85 में लगभग 38.75 करोड़ रुपये की योजनाएँ वित्तीय सहायता की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गईं।

30. खेती की उपज का पूरा लाभ कاشتकारों को मिल सके और विबोलियों के जोषणा में उसे बचाया जा सके, इसके लिए 19 नई मण्डी प्राणण निर्माणार्थन हैं। इसके साथ ही 133 प्राथमिक ग्रामीण मण्डियों का विकास कार्य इस वर्ष पूर्ण किया गया एवं 162 का कार्य चल रहा है। उपजों को अपनी उपज मण्डी तक लाने हेतु वर्तमान में 410 किलोमीटर सम्पर्क सड़क का कार्य मण्डी समितियों के क्रोष से निर्माणार्थन है। खाद्य पदार्थों के वर्गीकरण हेतु 4 नई एगमार्केट पर्यायवालाएँ स्थापित करने की स्वीकृति भी इस वर्ष दी गई है।

31. पशुधन को राज्य की अर्थ-व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। चारू वर्ष में राज्य में 24.2 पशु औषधालय खोले गये तथा 2.3 गोशालाओं को गो-संवर्धन हेतु सहायता दी जा रही है। भेड़ों के निष्क्रमण का गंजन हेतु 1.39 चरागाह विकसित किये गये हैं। भेड़ों की नस्ल सुधारने हेतु 1000 रेगुलेंट नर/मादा भेड़ें अमेरिका से आयात की गईं।

32. राजस्थान के परिपेक्ष्य में डेयरी विकास कार्यक्रम विशेष महत्त्व रखता है। इस कार्यक्रम को सुनिश्चित तथा व्यापक रूप से निष्पादित करने हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना की गई थी। डेयरी विकास के कार्यक्रम इस समय मध्यम रूप से 22 जिलों में चलाये जा रहे हैं। विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप प्रतिदिन दुग्ध एकत्रीकरण की औसत मात्रा 3 लाख 9 हजार लीटर प्रतिदिन के मुकाबले इस वर्ष माह जनवरी तक औसतन 4 लाख 85 हजार लीटर तक दुग्ध एकत्रित किया गया, जो कि एक कीर्तिमान है। डेयरी सहकारी समितियों की सदस्यता इस वर्ष 1,66,924 से बढ़कर 1,82,721 हो गई है तथा दुग्ध एकत्रित करने के अतिरिक्त इन समितियों के द्वारा वैज्ञानिक पशु आहार का वितरण तथा पशु चिकित्सा के कार्य भी सम्पादित करवाये जा रहे हैं।

33. अब तक राज्य में 7 डेयरी संयंत्र व 18 अवशीतन केन्द्र कार्यशील थे। इस वर्ष कोटा व हनुमानगढ़ में निर्माणाधीन डेयरी संयंत्र कार्यशील हो जायेंगे तथा जोधपुर डेयरी संयंत्र की क्षमता का विस्तार कार्य भी पूर्ण हो जायेगा। नोटा, सूरतगढ़, फलीदी, डूंगरगढ़, छतरगढ़, बन्सवा व फालना में अवशीतन केन्द्र निर्माणाधीन हैं।

34. इसी वर्ष टैटापैक दूध का उत्पादन एवं विपणन भी प्रारम्भ किया गया एवं 4 हजार लीटर टैटापैक दूध प्रतिदिन विक्रय रहा है।

35. राज्य में इस समय लगभग 9 प्रतिशत भू-भाग वन विभाग के अधीन है जिसमें भी आधे से कम भाग में ही वन हैं। राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित 23 प्रतिशत के लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए वन क्षेत्रों का विस्तार करना बहुत आवश्यक है। जबकि छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में प्रतिवर्ष अधिकतम 1 करोड़ 10 लाख वृक्ष रोपित किये जाते थे, विशेष प्रयत्नों द्वारा इसमें अभूतपूर्व वृद्धि की गई है तथा गत वर्ष में 5 करोड़ 86 लाख वृक्ष राज्य में लगाये गये। इस वर्ष 6 करोड़ 50 लाख वृक्षरोपण के लक्ष्य के विपरीत 8 करोड़ 31 लाख वृक्षरोपित किये गये हैं।

36. गत तीन वर्षों से कन्टग क्षेत्रों तथा वनस्पतिविहीन पहाड़ियों में वायुमयन द्वारा बीजरोपण का कार्य करवाया जा रहा है। इस वर्ष साढ़े चार हजार हेक्टेयर भूमि पर बीजरोपण कराया गया जिसके फलस्वरूप लगभग 1 करोड़ 75 लाख से अधिक पौधे अंकुरित हुए। इन्दिरा गांधी नहर की वितरिकाओं एवं सड़कों के किनारों व्यापक रूप से वृक्षरोपण का कार्य किया जा रहा है तथा इस वर्ष 2,690 से किलोमीटर पर कार्य हो रहा है। एक विशेष पर्यावरण योजना के अन्तर्गत इस नहर के दूसरे चरण में प्रादेशिक सेना की सहायता से 300 हेक्टेयर भूमि में वृक्षरोपण तथा 1,150 हेक्टेयर भूमि में घास हेतु घास का रोपण करवाया गया है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में हरियाली

पान हेतु टीबा स्थिरीकरण करवाने वर्ष तक 41,451 हेक्टेयर भूमि पर टीबा स्थिरीकरण एवं चरागाह वि

37. आदिवासियों तथा ल का सम्पादित किया जा रहा है जि लाभान्वित किया गया है।

38. सामाजिक वानिकी क म अगले वर्ष से निष्पादित की

39. पंचायती राज की स एक अखिल भारतीय पंचायत रा

प्राधान्य नेता स्वर्गीया श्रीमती इन्दि को अधिक सशक्त करना चाहती

का निर्णय लिया गया है जो वे पंचायत समितियाँ जिन राजकी

गया है। पंचायत समितियों त पंचवर्षीय योजना में प्रावधान

कर लगायेंगी या कर की दर नि राज्य द्वारा अनुदान दिया जाये

बढ़ा कर 50 हजार रुपये तक जिला परिषदों को दिये गये हैं

व्यय के लिए भी राज्य सरकार प्रयोजन के लिए 50 लाख रु

40. इन्दिरा गांधी नह नुका है तथा 92,945 कृषक

भूमि अब तक आवंटित की जनजाति के कृषक सम्मिलि और लगभग 84 हजार एक

नुका है। राजस्थान काश्तकारों को 25 बीघा आरक्षित मूल्य पर खातेदा

41. ग्रामीण क्षेत्रों में मण्डल एवं भू-अभिलेख

को हल की स्थायीकरण करवाने का कार्य भी व्यापक रूप से लिया गया है। छठी योजना में गत वर्ष तक 41,451 हेक्टेयर भूमि पर यह कार्य किया गया तथा इस वर्ष 11,155 हेक्टेयर भूमि में भी स्थायीकरण एवं चरागाह विकास का कार्य कराया जा रहा है।

17. आदिवासियों तथा लघु कृषकों के आर्थिक उत्थान हेतु विशेष वृक्षारोपण योजनाओं को संपादित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत 450 आदिवासियों परिवारों तथा लघु कृषकों को लाभान्वित किया गया है।

18. सामाजिक वानिकी की एक बृहत् योजना तैयार की गई है जो कि अन्तर्गामी सहायता से अगले वर्ष से निष्पादित की जायगी।

19. पंचायती राज की स्थापना के 25 वर्ष अक्टूबर, 84 को पूरे हो चुके हैं। इस संदर्भ में एक अखिल भारतीय पंचायत राज रजत जयन्ती समारोह मनाया गया जिसका उद्घाटन देश की महान नेता स्वर्गीया श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा किया गया। राज्य सरकार पंचायत राज संस्थाओं को अधिक सशक्त करना चाहती है। प्रौढ़ शिक्षा का कार्य पंचायत समितियों को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है जो वे जिला परिषदों की देखरेख में निष्पादित करेंगी। जिला परिषद् एवं पंचायत समितियाँ जिन राजकीय भवनों में हैं उनको हस्तांतरित कर दिये जाने का निर्णय लिया गया है। पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के शेष कार्यालयों के भवन निर्माण हेतु सप्तम पंचवर्षीय योजना में प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। जो पंचायतें चुंगी के अलावा कोई नया काम लगायेंगी या कर की दर विकास के लिए बढ़ायेंगी उन्हें अतिरिक्त कर आय का 50 प्रतिशत राज्य द्वारा अनुदान दिया जायेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत 25 हजार रुपये से बढ़ा कर 50 हजार रुपये तक की लागत के कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति देने के अधिकार जिला परिषदों को दिये गये हैं। पंचायत राज संस्थाओं के कर्मचारीगण को चिकित्सा सम्बन्धी व्यय के लिए भी राज्य सरकार ने एक करोड़ रुपये प्रति वर्ष देने का निर्णय लिया है। इस वर्ष इस प्रयोजन के लिए 50 लाख रुपये की राशि पंचायत समितियों को हस्तांतरित कर दी गई है।

40. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के पहले चरण में भू-आवंटन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है तथा 92,945 कृषकों को 10.58 लाख एकड़ सिंचित एवं 7.48 लाख एकड़ असिंचित भूमि अब तक आवंटित की जा चुकी है जिनमें 28,269 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषक सम्मिलित हैं। दूसरे चरण में भू-आवंटन का काम चालू किया जा चुका है और लगभग 84 हजार एकड़ सिंचित व 78 हजार एकड़ असिंचित भूमि का आवंटन किया जा चुका है। राजस्थान कायदाकारी अधिनियम, 1955 में संशोधन कर वर्ष 1955 के पहले के कायदाकारों को 25 बीघा तक सिंचित भूमि निःशुल्क देने और सीलिंग सीमा तक शेष भूमि आरक्षित मूल्य पर खालेदारी अधिकार देने का भी प्रावधान किया गया है।

41. ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व प्रशासन में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा पटवार मण्डल एवं भू-अभिलेख निरीक्षक मण्डलों का पुनर्गठन किया जा चुका है तथा राज्य में

अब 9,022 पटवार मण्डल व 1,002 भू-अभिलेख निरीक्षक मण्डल बनाये गये हैं। राकस कार्य को त्वरित गति से संपादित करने के अभियान में 15,111 लोगों को खातेदारी अधिकार दिये गये, 60,164 नामान्तरकरण निपटायें गये तथा 21,223 अतिक्रमणों का नियमन हटा निपटारा किया गया। जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाने की दृष्टि से इस वर्ष नाथदारा व सागवाड़ा में दो नये उपखण्ड स्थापित किये गये हैं।

42. राज्य में सीलिंग कानून के अन्तर्गत इस वर्ष अवाप्त की गई भूमि में से 12,000 एकड़ भूमि वितरण किये जाने का लक्ष्य था जिसके मुकाबले माह फरवरी, 1985 तक 23,676.84 एकड़ भूमि का वितरण किया जा चुका है। अनुसूचित जाति कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत राज्य में अनुसूचित जाति के 3,145 परिवारों को भूमि आवंटन से लाभान्वित किया गया है।

43. लघु उद्योग के क्षेत्र में चालू वर्ष में 10,000 लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के पंजीयन के विरुद्ध माह दिसम्बर, 1984 तक 7,939 लघु एवं ग्रामीण औद्योगिक इकाइयों का पंजीयन किया गया एवं आगामी वर्ष 1985-86 में 12,000 लघु एवं ग्रामीण औद्योगिक इकाइयों का पंजीयन प्रस्तावित है। दिसम्बर, 1984 तक राज्य में कुल 1,09,020 लघु एवं ग्रामीण औद्योगिक इकाइयों पंजीकृत हैं, जिनमें 417.14 करोड़ रुपये का विनियोजन करवा कर 4.42 लाख व्यक्तियों को रोजगार के अवसर सुलभ कराये जा रहे हैं।

44. राज्य में औद्योगीकरण के कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार युवकों को उद्योग, व्यापार एवं सेवा के क्षेत्रों में वित्त, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण एवं आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करवा कर सेवा नियोजन हेतु पिछले वर्ष लगभग 15 हजार युवाओं को लाभान्वित किया गया था और इस वर्ष भी इतने ही युवकों को लाभान्वित किये जाने की संभावना है।

45. राज्य में हाथ कर्मा के समुचित विकास एवं इस व्यवसाय में लगे गरीब परिवारों के आर्थिक विकास हेतु इस वर्ष राज्य में हाथ कर्मा निगम की स्थापना की गई है। हाथ कर्मा क्षेत्र में नये कर्मों लगाकर तथा पुराने कर्मों के सक्रियकरण के माध्यम से समाज के कमजोर तबके को रोजगार दिलाया जा रहा है। हाथ कर्मों पर तैयार किये गये कपड़े को प्रोसेस करने के लिए हाथ कर्मा विकास निगम द्वारा एक प्रोसेस हाउस की स्थापना की जा रही है।

46. राजस्थान वित्त निगम द्वारा परम्परागत उद्योगों के अतिरिक्त सूक्ष्म तकनीकी वाले उद्योगों तथा सीमेंट प्लांट, टैक्सटाइल प्रोसेसिंग हाउस आदि को वित्त-प्राप्ति प्रारम्भ किया गया है। बन्द इकाइयों को पुनर्जीवित करने की दृष्टि से प्रारम्भ किया गया है। बन्द इकाइयों को पुनर्जीवित करने की दृष्टि से प्रारम्भ की गई परियोजनाओं को स्वीकार करने से चालू वर्ष में दिसम्बर, 1984 तक 87 इकाइयों को पुनर्जीवित किया गया। चालू वर्ष में दिसम्बर, 1984 तक 36 करोड़ रुपये की ऋण स्वीकृति एवं 27 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये गये।

47. राजस्थान राज्य में औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम द्वारा अब तक 160 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना कर प्रदेश के सभी प्रमुख क्षमतावान नगरों एवं कस्बों में उद्योग स्थापना के अच्छे अवसर उपलब्ध कराये गये हैं। चालू वर्ष में दिसम्बर, 1984 तक रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों के लिये 2,313 एकड़ भूमि अवाप्त की गई एवं 6,343 भूखण्ड विकसित किये गये। इस अवधि में 349 नये उद्योगों ने अपना उत्पादन आरम्भ कर दिया है। सिरोही में 7 नये औद्योगिक क्षेत्र एवं जैसलमेर में एक नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है।

48. चालू वर्ष में दिसम्बर, 1984 तक निगम द्वारा वृहद् एवं मध्यम उद्योगों को 18.71 करोड़ रुपयों की विनीय सहायता स्वीकृत की गई है। रीको के माध्यम से अब तक 140 उद्योगों में उत्पादन आरम्भ कराया जा चुका है।

49. उद्योगों में लगे हुए श्रमिकों को उद्योगपतियों की दया पर न रहना पड़े इस हेतु राज्य सरकार ने ऐसे कारखानों जहां 300 या इससे अधिक श्रमिक नियोजित हैं, बिना राज्य सरकार की पूर्ण स्वीकृति के, छटनी, ले-आफ तथा क्लोजर करने पर पाबन्दी लगा दी है।

50. न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम वेतन की दर में दिनांक 16.1.85 से 9 म. 11 रुपये प्रतिदिन बढ़ोतरी कर दी गई है। असंगठित श्रमिकों को संगठित करने की भारत सरकार की योजना के तहत 80 पंचायत समितियों में ग्रामीण संगठकों की नियुक्ति की जा रही है।

51. राज्य में खनिज उत्पादन बढ़ाये जाने से नये खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना के आसार बने हैं। खनिजों के विकास और अनुसंधान कार्य को गति देने के लिए खनिज विकास एवं अनुसंधान मण्डल की स्थापना का निर्णय लिया गया है। राज्य में धात्विक व अधात्विक खनिज, प्लाती पत्थर आदि के उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप गत वर्ष के 198 करोड़ रुपये के खनिज उत्पादन के मुकाबले इस वर्ष 238 करोड़ रुपये का उत्पादन संभावित है। खनिज राजस्व से भी वर्ष 1983-84 के मुकाबले वर्ष 1984-85 में लगभग 6.50 करोड़ अधिक प्राप्ति होने की संभावना है।

52. खनिज सर्वेक्षण कार्य में बीकानेर में गुड़ा व हीरा की ढाणी क्षेत्रों में लिग्नाइट का अन्वेषण कार्य किया गया। गुड़ा क्षेत्र में लगभग 50 लाख टन लिग्नाइट के भण्डार अनुमानित किए गये हैं। उदयपुर, अलवर व सिरोही जिलों में ताम्बा खनिज, टोंक जिले के सिरस तथा जयपुर के देवपुरा एवं दूदू के निकट टंगस्टन और जालोर जिले के जालग खुर्द गाँव के पास फ्लोसाइट खनिज प्राप्त होने के संकेत मिले हैं। चूना पत्थर, सीमेन्ट तथा उच्च श्रेणी के भण्डारों को प्राप्त करने हेतु जैसलमेर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही व पाली में कार्य प्रगति पर है।

53. कम विद्युत उपलब्धि के कारण कुछ वर्षों से राज्य लगातार बिजली की कमी का सामना कर रहा है। यद्यपि गांधी सागर में पिछले सालों के मुकाबले इस साल काफी ज्यादा पानी आया है, लेकिन भाखरा और पोंग जलाशयों में कम मात्रा में पानी आया, अतः उन खेतों से राज्य की कम बिजली उपलब्ध हो रही है। इस कमी को पूरा करने के भरसक प्रयत्न किये गये

हैं, जिनके फलस्वरूप इस वर्ष पूर्व वर्ष के मुकाबले स्थिति अधिक नियंत्रण में रही है। मुझे कहते हुए खुशी है कि राजस्थान अणु बिजलीघर की पहली इकाई करीब तीन साल के बाद 1 फरवरी, 1985 से चालू हो गई है। कोटा ताप बिजलीघर जो 1983 में चालू किया गया 1984 में भी अच्छा काम करता रहा। मुझे यह भी कहते हुए खुशी है कि देश में इस साल के ताप बिजलीघरों में इसका कार्य उत्तम श्रेणी का माना गया है। माटी जल विद्युत परियोजना पर 2 इकाइयाँ लगाने का काम भी अंतिम चरण में है एवं कोटा थर्मल के दूसरे चरण के निर्माण का काम प्रगति पर है।

54. मांगरोल, सूरतगढ़, चारणवाला, दूंगल, जाखम व अन्पूर्गढ़ लघु एवं मूल्य पर विद्युत गृहों तथा रामगढ़ में गैस पर आधारित तापीय विद्युत गृह का काम स्वीकृत कर दिया गया है।

55. कोटा तापीय परियोजना में 210 मेगावाट की एक और इकाई लगाने तथा सूरतगढ़, मांडलगढ़, चित्तौड़गढ़, धौलपुर में 210 मेगावाट की दो से तीन तापीय ऊर्जा की इकाइयाँ प्रति स्टेशन लगाने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेजी जा चुकी है। इसके अलावा कोटा के निकट अणुशक्ति की अतिरिक्त दो इकाइयाँ लगाने के बारे में भी सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है तथा अतिशीघ्र औपचारिक निर्णय लिये जाने की आशा है।

56. पलाना के अतिरिक्त कपूरडी (बाड़मेर के निकट लिगाइट पर आधारित एक बड़ी क्षमता के ताप बिजलीघर के निर्माण हेतु भी योजना आयोग को निवेदन किया गया है। इसी प्रकार सवाई माधोपुर में गैस पर आधारित एक बड़े ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करने के सम्बन्ध में भारत सरकार से पेशकश जारी है।

57. वर्ष 1984-85 में भारत सरकार द्वारा इंगित 11,000 कुओं के ऊर्जाकरण के लक्ष्यों के विपरीत फरवरी के अन्त तक 14,000 से अधिक कुओं का ऊर्जाकरण हो गया है। इसी प्रकार 1,100 गाँवों के विद्युतीकरण के लक्ष्यों के विपरीत फरवरी के अन्त तक 983 गाँवों का विद्युतीकरण हो चुका है। इसके अतिरिक्त शिड्यूल्ड कास्ट क्वॉन्टि प्लान के अधीन 2,000 के लक्ष्य के विपरीत फरवरी के अन्त तक 1,543 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण और 1,500 कुओं के ऊर्जाकरण के लक्ष्य के विपरीत 1,300 से अधिक कुओं का ऊर्जाकरण किया जा चुका है।

58. पीने का पानी उपलब्ध कराना राज्य सरकार की एक अहम जिम्मेदारी है। राज्य के लगभग 24 हजार समस्याग्रस्त गाँवों में से 17,730 गाँवों में पीने के पानी का कम-से-कम एक स्रोत 1983-84 के अन्त तक उपलब्ध करा दिया गया था। चालू वर्ष में 2,500 गाँवों में पीने के पानी की सुविधा दी जाने के लक्ष्य के विपरीत अब तक 2,359 समस्याग्रस्त व 327 गैर समस्याग्रस्त गाँव लाभान्वित किये जाकर लक्ष्य पूर्ण कर लिये गये हैं।

59. सड़कों के योजनानुसार विस्तार के लिए राज्य के सभी 27 जिलों के मास्टर प्लान तैयार कर लिये गये हैं। इसमें सभी पंचायतों को सड़क से जोड़ने, 1971 की जनगणना के अनुसार एक हजार से अधिक आबादी के सभी गाँवों को सड़क से जोड़ने, पर्यटन, धार्मिक, शान्त, रेलवे स्टेशन और औद्योगिक महत्व की सड़कों तथा अन्तर्राज्यीय महत्व की सड़कों का निर्माण प्रमुख है। इस प्लान के तहत सभी सड़कों का निर्माण अगली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में कराये जाने का राज्य सरकार का लक्ष्य है।

60. वर्ष 1984-85 में सड़कों के निर्माण के लिए 14 करोड़ रुपये राज्य योजना में व्यय किये जायेंगे जिससे 600 कि.मी. नयी सड़कों का निर्माण किया जायेगा तथा 1,500 से अधिक की आबादी के 90 गाँवों को पक्की सड़कों से जोड़ दिया जायेगा।

61. भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत 229 सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है जिन पर वर्ष 1984-85 में सात करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 2.30 करोड़ रुपये इस वर्ष व्यय किये जायेंगे जिसके अन्तर्गत 438 सड़क निर्माण कार्य जारी हैं।

62. इस वर्ष जयपुर-आगरा राष्ट्रीय उच्च मार्ग-11 पर कानोता के पास दूढ़ नदी पर पुल तथा बांसवाड़ा-रतलाम सड़क पर माही नदी पर पुल का निर्माण पूर्ण कर आवागमन के लिए माल दिया गया है।

63. आवासन मण्डल द्वारा चालू वर्ष में 12,500 आवास निर्माण किये जाने का लक्ष्य है, जिसमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 7,000 तथा अल्प आय वर्ग के 2,000 आवास होंगे जो कि कुल का 72 प्रतिशत है। इन समस्त मकानों के निर्माण में लगभग 30 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय होगा। 3,173 आवास आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के रजिस्टर्ड आवेदकों को आवंटित किये गये हैं। इस प्रकार मण्डल द्वारा 31 मार्च, 1981 तक के अधिकतर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पंजीकृत आवेदकों को आवास आवंटन कर दिये गये हैं।

64. पर्यावरण सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित कच्ची बस्तियों का सुधार कार्यक्रम सम्पन्न है। छठी पंचवर्षीय योजना काल में 1,67,000 व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लक्ष्य के विपरीत वर्ष 1983-84 तक 1,87,658 की उपलब्धि की जाकर लक्ष्यों से अधिक प्राप्ति की गई है। वर्ष 1984-85 में माह दिसम्बर, 1984 तक 80,365 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

65. गाँवों में निःशुल्क भू-आवंटन के पात्र पाये गये सभी व्यक्तियों को इसी वर्ष आवासीय भू-खण्ड आवंटन कर देने का निर्णय लिया गया था। इसकी क्रियान्विति में इस वर्ष के 30,000 भू-खण्ड आवंटन के लक्ष्य के विपरीत दिसम्बर, 1984 तक 39,806 भू-खण्ड आवंटित किये जा चुके हैं। आवास गृह और निर्माण सुविधा जुटाने में हुडको योजना, एल.आई.सी.,

जी.आई.सी. एवं व्यावसायिक बैंकों से ऋण प्रबन्ध करवाकर इसी वर्ष में दिसम्बर तक 20,000 मकान बनवाये जा चुके हैं।

66. गाँवों में शौचालयों की किल्लत को ध्यान में रखते हुये ग्रामीण शौचालय संकुलों का निर्माण कराने की योजना है। वर्ष 1984-85 में 10 जिलों की पंचायत समितियों में यह कार्य किया जा रहा है।

67. अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु 750 रुपये अनुदान के साथ साथ 1,000 रुपये की सहायता राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना से भी जाने का निर्णय किया गया है।

68. आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु राज्य में 13 हजार से अधिक उचित मूल्य की दुकानें कार्यरत हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा गेहूँ, चावल, चीनी, केरोसीन, तेल, खाद्य तेल, नियंत्रित कपड़ा, साफ्ट कोक तथा लेवी सीमेन्ट सुचारु रूप से वितरित कराया जा रहा है ताकि इन आवश्यक वस्तुओं की उचित मूल्य व मात्रा में उपलब्धि हो सके। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के तहत वर्ष 1984-85 में 492 नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें 188 ग्रामीण क्षेत्र में, 279 शहरी क्षेत्र में तथा 25 भ्रमणशील दुकानें हैं। इस लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 455 से अधिक दुकानें खोली जा चुकी हैं।

69. राज्य सरकार आवश्यक वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था पर निरन्तर सजगता से निगरानी रखती है तथा इन्हें उचित मूल्य पर विक्रय हेतु उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा चोर-बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के तहत अप्रैल, 1984 से दिसम्बर, 1984 तक 3,430 छापे मारे गये। छापों के दौरान 13,49,965.50 रुपये का माल पकड़ा गया। इस कार्यवाही के दौरान 63 व्यक्तियों का चालान प्रस्तुत कर 33 व्यापारियों को सजा दिलाई गई। इसके अतिरिक्त 1,290 व्यक्तियों को विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत दण्डित किया।

70. गत वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदने हेतु 146 क्रय केन्द्र खोले गये जिन पर 2,16,645 मैट्रिक टन गेहूँ की खरीद की गई जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य से काफी अधिक है, जबकि भारत सरकार द्वारा 1.50 लाख मैट्रिक टन लक्ष्य रखा गया था। चावल की खरीद भी अब तक 42 हजार मैट्रिक टन से अधिक की जा चुकी है।

71. शिक्षा सामाजिक एवं आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण आदान है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर संख्यात्मक एवं गुणात्मक विकास हेतु सुनियोजित प्रयास किये गये हैं। शिक्षा को सार्वजनिक बनाने के लिए चालू वर्ष में 6 से 14 आयु वर्ग के 55.10 लाख छात्र-छात्राओं का नामांकन किया गया है। यह बहुत प्रसन्नता का विषय है कि वर्ष 1983-84 में

शासकों के नामांकन में अर्जित विशेष उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकार को एक करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया है। साथ ही चालू वर्ष में 200 की आबादी वाले गाँव, मंजरे (कम्ब) में तथा आदिवासी और रेगिस्तानी इलाकों के ऐसे गाँवों में जहाँ 50 प्रतिशत से ज्यादा अनुमूलित जाति एवं जनजाति के लोग हों वहाँ 150 की आबादी पर प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं। महिला शिक्षा को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा के विकास हेतु 400 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में और 100 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है। स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से 4 नये बी.एड. कॉलेज भी खोले गये हैं ताकि राज्य में अधिक प्रायोगिक शिक्षक उपलब्ध हो सकें।

72. राज्य में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 3.30 लाख प्रौढ़ों को शिक्षित करने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। यह खुशी की बात है कि वर्ष 1983-84 में राज्य सरकार द्वारा अनौपचारिक शिक्षा में अच्छा कार्य किये जाने के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने पच्चीस लाख रुपये का पारितोषिक भी दिया है। राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी संख्यात्मक एवं गुणात्मक सुधार हुए हैं। खास तौर से पिल्लड़े तबके के लोगों को ऊँची शिक्षा सुलभ करने के लिए राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बीकानेर एवं सिरोंही में नये विषय प्रारम्भ किये गये हैं।

73. 7 वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य में 2 नये इन्जीनियरिंग कॉलेज खोलने का प्रावधान किया गया है। कोटा इन्जीनियरिंग कॉलेज की सीटें 90 से बढ़ाकर 180 कर दी गई है। इन्जीनियरिंग विद्यार्थियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए भरतपुर पोलिटेक्निक को फिर चालू कर दिया गया है। भीलवाड़ा का पोलिटेक्निक भी चालू हो गया है। चालू वर्ष में 6 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, करौली, टोंक और धौलपुर में चालू किये गये हैं।

74. चिकित्सा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस वर्ष 32 नये कम्यूनिटी हेल्थ सैन्टर एवं 100 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त 50 ग्रामीण डिस्पेंसरियों का सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने एवं 472 उप केन्द्रों को क्रमोन्नत कर उच्चकृत उप केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति दी गई। 700 नये उप केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति भी दी गई। 5 स्थानों पर 50 शय्याओं वाले सैटलाइट अस्पताल स्थापित किये गये हैं। नागौर, झालावाड़, पिनाडगढ़, जालौर, सर्वाई माधोपुर, सिरोंही, टोंक, झुन्झुनू एवं चूरू के राजकीय चिकित्सालयों में शय्याओं की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दी गई जबकि जैसलमेर में शय्याओं की संख्या 50 से 100 करके इन सभी चिकित्सालयों को क्रमोन्नत किया गया।

75. राज्य में नर्सों की कमी को पूरा करने के लिए भीलवाड़ा, पाली, श्रीगंगानगर, जयपुर एवं अजमेर में 50 प्रशिक्षणार्थियों की क्षमता वाले जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये जबकि सीकर स्थित प्रशिक्षण केन्द्र की क्षमता 25 से बढ़ाकर 50 कर दी गई।

76. इसके अतिरिक्त विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत 31,346 क्षय रोगियों, 1,765 कुष्ठ रोगियों को खोजकर उनका उपचार किया जा रहा है एवं अन्धापन निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत 29 हजार मोतियाबिन्द के ऑपरेशन किये गये।

77. छठी पंचवर्षीय योजना में 5 लाख अनुसूचित जाति के परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया था जिनके पेटे वर्ष 1983-84 के अन्त तक लगभग 4 लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया था। इस वर्ष 1 लाख 12 हजार परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य लगभग पूरा हो चुका है। अनुसूचित जाति के परिवारों को अपने परम्परागत धर्मों के अलावा दूसरे धर्मों में लगाने के लिए अनुसूचित जाति विकास सहाकारी निगम द्वारा विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।

78. शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए चालू वर्ष में पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति की दर में वृद्धि की गई है। इसमें लड़कियों के लिए बढ़ोतरी विशेष उद्देखनीय है। नये छात्रावास खोलने और वर्तमान छात्रावासों में सोंटें बहाने के निर्णय से भी अधिक छात्रों को शिक्षा सुविधा मिल सकेगी। निराश्रित बालगृहों की इकाइयों के संचालन के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के लिए 10 छात्रावास निर्माणाधीन हैं। निराश्रित विधवाओं को पेंशन देने के लिए 45 वर्ष की आयु सीमा को हटा दिया गया है और अब किसी भी उम्र की निराश्रित विधवा पेंशन पाने की हकदार हो गई है।

79. बच्चों, गर्भवती एवं दूध पिलाती माताओं के लिए 45 एकीकृत बाल विकास परियोजनाएँ क्रियशील हैं। इनमें 3,50 लाख बच्चों एवं महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर विस्तार प्रस्तावित है।

80. सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण, पुनर्वास और रोजगार आदि के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। 3,400 भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को जीविकोपार्जन हेतु 18 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। 1,818 भूतपूर्व सैनिकों को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पदों पर नियोजन दिलाया गया है। 1,192 भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को 5 लाख रुपये छात्रवृत्ति के स्वीकृत किये गये हैं तथा 301 भूतपूर्व सैनिकों को 39.27 लाख रुपये के अलग विभिन्न बैंकों से दिलाये गये हैं। 18 भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास एवं स्वनियोजन के अन्तर्गत क्षेत्रीय रोड परियोजनाएँ दिलाये गये हैं। इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में 50 हजार बीघा भूमि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रखी गई थी तथा आवंटन का कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

81. वर्तमान में राज्य में लगभग 34 प्रतिशत सड़क मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है। वर्ष 1984-85 में 27 नये मार्ग खोले गये तथा 11 मार्गों के परमिटों के स्वतः तथा मार्गों की लम्बाई में वृद्धि की गई। इसके फलस्वरूप अधिक गाँवों को बस सेवा से जोड़ा जा सका है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने गत वर्ष कई प्रकार के सुधार कर एक करोड़ रुपये से

आपक का लाभ अर्जित किया है। वर्ष 1984-85 में निगम द्वारा लगभग तीन करोड़ पचास लाख रुपये का लाभ अर्जित करने की संभावना है। भारत सरकार ने निगम द्वारा घाटे की स्थिति में भारते के प्रयासों की सराहना की है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि निगम के इन प्रयासों के फलस्वरूप राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् ने निगम को 'राष्ट्रीय उत्पादकता पुरस्कार' प्रदान कर सम्मानित किया है।

82. अब यह चेष्टा की जा रही है कि इन सभी मार्गों में पर्याप्त यात्री सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायें। इस हेतु राष्ट्रीय मार्गों पर आवश्यकतानुसार अधिक बसें चलाई जाना, बसों के अच्छे रख-रखाव के लिए संसाधनों में तथा बस आगारों व बस स्टेशनों में वृद्धि किया जाना सम्मिलित है। राष्ट्रीयकरण की नीति के अनुसार मार्गों के राष्ट्रीयकरण में सुनियोजित ढंग से क्रमशः वृद्धि की जायेगी। परन्तु यह वृद्धि उसी अनुपात में की जायेगी जिस अनुपात में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराये जा सकेंगे। फिलहाल कुछ और मार्गों के राष्ट्रीयकरण के मामले विचाराधीन हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में यदि इन मार्गों का राष्ट्रीयकरण हो जायेगा तो राष्ट्रीयकृत मार्गों का प्रतिशत लगभग 40 हो जायेगा।

83. निजी वाहन स्वामियों के द्वारा राज्य में लगभग 4,500 बसें 1,250 मार्गों पर संचालित की जा रही हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि यात्रियों को और अधिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायें जिसके लिए प्रत्येक मार्ग पर निर्धारित संख्या में बसें निर्धारित समय सारिणी पर चलें तथा जिन मार्गों पर बसों में अधिक भीड़ रहती है वहां सर्वेक्षण कराकर बसों की संख्या में वृद्धि की जाय और वाहन यांत्रिकी रूप से ठीक एवं आरामदेह हों। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जो लोकभार वाहन राज्य में बाहर से आते हैं उन्हें राज्य में प्रवेश करने पर निरीक्षण कर नियमानुसार चैक स्टिप जारी की जाय ताकि उन्हें बार-बार राज मार्गों पर चैक करने की आवश्यकता नहीं पड़े।

84. पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से राज्य में मेलों एवं त्यौहारों के आयोजन के साथ-साथ राज्य से बाहर छाया चित्र प्रदर्शनियों एवं राजस्थान कालिंग के कार्यक्रम हाथ में लिये गये हैं। पर्यटन स्थलों का विकास भी किया जा रहा है साथ ही पर्यटकों को आवास एवं परिवहन सुविधाएँ उपलब्ध कराने में राजस्थान पर्यटन विकास निगम अपना योगदान दे रहा है। इन सबके फलस्वरूप राज्य में आने वाली स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकों में उततरोत्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 1983-84 के लिये राजस्थान पर्यटन विभाग को पर्यटन विकास कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए प्रशान्त क्षेत्रीय अधिकर्ता संगठन (पाटा) द्वारा प्रशंसा प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया।

85. जनता को देश में होने वाली गतिविधियों से परिचित कराने के लिए जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अलवर, गंगानगर, भीलवाड़ा, खेतड़ी, जैसलमेर और वाडमेर में टी.वी. सिले केन्द्र स्थापित किये गये हैं। राज्य में टेलीविजन सेवा विस्तार के इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से सामुदायिक उपयोग हेतु 2,640 टेलीविजन सैट्स

उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है। साथ ही जयपुर में टेलीविजन स्टूडियो के नये भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और भारत सरकार द्वारा आवश्यक उपकरणों की खरीद के आदेश विभे हो चुके हैं।

86. राज्य की सांस्कृतिक एवं कलात्मक धरोहर को संरक्षित रखने की दृष्टि से कला एवं संस्कृति विभाग ने जैसलमेर में नवीन संग्रहालय स्थापित किया। पाली में एक अन्य संग्रहालय का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। राज्य अभिलेखागार द्वारा भरतपुर एवं अजमेर में दो नई शाखाएँ स्थापित की गईं। प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान द्वारा एक नई शाखा भरतपुर में स्थापित की जा रही है। सती अतिरिक्त ललित कला अकादमी द्वारा राज्य के कलाकारों की कलाकृतियाँ सुदूर दक्षिणवर्ती राज्यों में विशेष प्रदर्शनी वाहन द्वारा ले जाई गईं। साथ ही संगीत नाटक अकादमी द्वारा लोक कलाकारों के दल अन्तर्राज्यीय समारोहों में भाग लेने हेतु भेजे गये तथा अन्य राज्यों के सांस्कृतिक दल आमंत्रित किये गये। दिल्ली प्रशासन द्वारा आयोजित अखिल भारतीय ड्रामा एवं नृत्य प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता व अभिनेत्री के पुरस्कार राज्य के कलाकारों ने प्राप्त किये तथा पश्चिमी राजस्थान के कतिपय लोक गायक अन्तर्राष्ट्रीय संगीत सभाओं में आमंत्रित किये गये।

97. युवा वर्ष के तत्वावधान में राजस्थान में जिला स्तर, क्षेत्रीय स्तर तथा राज्य स्तर पर खेल प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रतियोगितायें करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त आदिवासी क्षेत्र तथा अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में खेल विकास के लिए नये ग्रामाण खेल केन्द्र स्थापित किये जायेंगे तथा उदीयमान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

88. चूंकि विधान सभा का यह सत्र अल्पकालीन होगा, अतः इसमें अधिक विभागीय कार्य लेना संभव नहीं है। राज्य का वर्ष 1985-86 हेतु बजट इस सत्र में प्रस्तुत करते हुए इस वित्तीय वर्ष के पहले चार माहों के लिए 'घोट आन अकाउन्ट' प्राप्त करना प्रस्तावित है। इसी दौरान नई सरकार वर्ष के शेष भाग हेतु अतिरिक्त संसाधनों के जुटाव के लिए अपने सम्पूर्ण प्रस्ताव तैयार कर उन पर आधारित नये योजना कार्यक्रमों के प्रस्ताव अगले सत्र में प्रस्तुत करेंगी। वर्तमान सत्र में अनुपूर्व अनुदान की मांगें और 'अप्रोप्रियेशन बिल' भी आपके विचारार्थ प्रस्तुत होंगे।

89. राज्य में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों में से कुछ मुख्य और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के विषय में मैंने संक्षिप्त जानकारी सदन के माननीय सदस्यों के सामने प्रस्तुत की। राज्य की सर्वांगीण प्रगति सुनिश्चित करने तथा राजस्थान को राष्ट्र के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के प्रयासों में माननीय सदस्यों एवं जनता की पूरी लगन और निष्ठा के साथ भागीदारी बनी रहेगी, इसकी मुझे पूर्ण आशा है। मुझे विश्वास है कि यहां उपस्थित सभी माननीय सदस्यगण अपने उत्साह और अनुभव से सदन की परम्पराओं को और भी गौरवान्वित करेंगे और राज्य के हित में अपना पूरा सहयोग देते रहेंगे।

जय हिन्द।

